

स्पीड पोस्ट
आवंटनादेश

संख्या- 6/एफ1-309/16 श्र0सं0-
बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

153

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
बेगूसराय/समस्तीपुर ।

पटना, दिनांक :- 22-2-17

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0103-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड- पी 2230017890103) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2204 दिनांक-19.05.16 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 में 31 मार्च 2017 तक व्यय के निमित्त "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि रू. 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र प्रति मृतक मजदूर की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र० सं०	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	प्राथमिक इकाई	आवंटित राशि	अभ्युक्ति (मृतक का नाम एवं पता)
1	2	3	4	5	6
1	बेगूसराय	01	31-06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	100000/- (एक लाख)	जिला पदाधिकारी बेगूसराय का पत्रांक-199, दिनांक-09.02.2017 के आलोक में स्व. विक्रान्त ताँती, आश्रित-कलिया देवी, ग्राम-रचियाही बहोर टोला, थाना+प्रखण्ड-मटिहानी, जिला-बेगूसराय के भुगतान हेतु।
2	समस्तीपुर	01	तदैव	100000/- (एक लाख)	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर का ज्ञापांक-125, दिनांक- 07.02.2017 के आलोक में स्व. जय राम सहनी, आश्रित-प्रमिला देवी (पत्नी), ग्राम+पोस्ट-इन्द्रवारा, थाना-ताजपुर, प्रखण्ड-मोरवा, जिला-समस्तीपुर के भुगतान हेतु।
कुल योग		02		200000/-	

कुल आवंटित राशि रूपये 2,00,000/- (रूपये दो लाख) मात्र ।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि0 दिनांक-31.03.16, पत्रांक-4572/वि० दिनांक-03.06.2016 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को जाँच कर नियमानुसार ही की जाय ।
- आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।

0

